

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट) एक्ट/गैंगेस्टर एक्ट, प्रतापगढ़।

पीठासीन अधिकारी- अंकिता दुबे, एच 0 जे0 एस 0- UP-1713

सेशन केस संख्या- 1069/2026

राज्य बनाम दयाराम आदि

मु.अ.सं.-190/2025,

धारा-2/3 उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट,

थाना-कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

आदेश

पेश हुआ। अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, वाद संख्या 1069/2026, अपराध संख्या 190/2025, धारा2/3 गैंगेस्टर एक्ट, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ शिथिलीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया था, किन्तु कार्यालय लिपिक द्वारा त्रुटिवश बेल एप्लिकेशन के रूप में फीड कर दिया गया है, जबकि उक्त प्रकरण क्रिमिनल मिसलेनियस श्रेणी में पंजीकृत/फीड किया जाना अपेक्षित है।

प्रार्थना-पत्र के अवलोकन से विदित होता है कि प्रकरण कार्यालयीय त्रुटि के कारण गलत श्रेणी में फीड हो गया है। अतः उक्त प्रकरण को बेल एप्लिकेशन श्रेणी से हटाकर नियमानुसार क्रिमिनल मिसलेनियस श्रेणी में दर्ज/फीड करना सुनिश्चित करें। डी.पी.ओ. आख्या आहुत हो। दिनांक 19.06.2026 को पेश हो।

दिनांक:-15.06.2026

(अंकिता दुबे)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश(ई०सी०एक्ट)

प्रतापगढ़।